रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/95 REGD. NO. D.L.-33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 427] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 26, 1995/कार्तिक 4, 1917
No. 427] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 26, 1995/KARTIKA 4, 1917

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 1995

सा. का. नि. 699(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम 1986 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1995 है ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 के नियम 8 में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) उपनियम (1) के अधीन पेंशन की संगणना सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए एक हजार चार सौ पचास रुपये प्रतिवर्ष की दर पर की जाएगी :

परन्तु इस नियम के अधीन देय पेंशन तथा किसी अन्य पेंशन एवं पेंशन का संराशित भाग, यदि कोई हो, जो अधिकरण में पद धारण करते समय प्राप्त किया गया या जिसको प्राप्त करने का वह हकदार है, को जोड़कर बनने वाली कुल राशि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित पेंशन की अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी ।"

[सं. ए-11014/13/95-प्र. अ.]
श्रीमती सरिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम दिनांक 5 दिसम्बर, 1986 की सा. का. नि. 1253(ई) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए एवं बाद में निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा संशोधित किए गए :--

(1) सा. का. नि. 16(ई) दिनांक 10-1-1989
(2) सा. का. नि. 1048(ई) दिनांक 13-12-1989
(3) सा. का. नि. 743(ई) दिनांक 7-10-94

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 1995

G.S.R. 699(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with clause (c) of Sub-section (2) of Section 35 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, in rule 8, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) Pension under sub-rule (1) shall be calculated at the rate of rupees one thousand four hundred and fifty per annum for each completed year of service :

Provided that the aggregate amount of pension payable under this rule together with the amount of any pension including commuted portion of pension, if any, drawn or entitled to be drawn while

holding office in the Tribunal shall not exceed the maximum amount of pension prescribed for a judge of the High Court."

[No. A. 11014/13/95-AT]
Smt. SARITA PRASAD, Jt. Secy.

Footnote :—The principal rules were published in the Gazette of India vide No. G.S.R 1253(E), dated the 5th December, 1986 and subsequently amended vide notification No. :

(1) G.S.R. 16(E), dated 10-1-1989
(2) G.S.R. 1048(E), dated 13-12-1989
(3) G.S.R. 743(E), dated 7-10-1994

2538 GI/95

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 1995